

न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झाड़)

Filing No. RCSHM/104/2017

CNR-MP50050006472017

Case No. RCSHM/1/2017

संस्थित दिनांक-10-03-2017

थालेश्वर चंद्रवंशी उम्र 32 वर्ष पिता संतोष कुमार चंद्रवंशी जाति कुर्मी
निवासी-ग्राम चंदना थाना तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - **आवेदक / याचिकाकर्ता**

- / / **विरुद्ध** / / -

श्रीमती रिकी चंद्रवंशी आयु 29 वर्ष पति थालेश्वर चंद्रवंशी जाति कुर्मी
निवासी-ग्राम चंदना थाना तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)
हॉल मुकाम-ग्राम घटिया थाना बम्हनी तहसील जिला मण्डला (म.प्र.)

- - - **अनावेदिका / गैर याचिकाकर्ता**

=====

श्री आर०के० चौहान अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता थालेश्वर।
अनावेदिका प्रारंभ से अनुपस्थित।

=====

- / / / **आदेश** / / / -

(आज दिनांक 10 जनवरी 2018 को घोषित)

1. आवेदक / याचिकाकर्ता थालेश्वर ने यह आवेदन अंतर्गत धारा 9 हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के अधीन पेश किया है।
2. अनावेदिका / गैर याचिकाकर्ता को पेशी तारीख 06.04.2017 का रजिस्टर्ड डाक से नोटिस तामील होने के उपरांत उसके उपस्थित न होने से और उत्तर पेश न करने से कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।
3. आवेदन पत्र का सार यह है कि आवेदक एवं अनावेदिका कुर्मी जाति के होकर हिन्दु विधि से शासित होते हैं। अनावेदिका, आवेदक की विधिवत विवाहिता पत्नी है। आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ दिनांक 21.04.2014 को ग्राम खारी जिला मण्डला में सम्पन्न हुआ था। विवाह पश्चात् अनावेदिका बतौर पत्नी आवेदक के साथ ग्राम चंदना में दांपत्य जीवन का निर्वाह करने चली गई, अनावेदिका का व्यवहार आवेदक एवं उसके परिवार के

प्रति 7-8 माह तक ठीक रहा, के पश्चात् आवेदक के परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद करने लगी, संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती थी, आवेदक को माता-पिता से अलग रहने कहती थी, जिसके लिए आवेदक तैयार नहीं था, अनावेदिका घर का कोई काम नहीं करती थी। अनावेदिका एम.ए. शिक्षित महिला है, आवेदक बारहवीं उत्तीर्ण है, इस कारण भी अनावेदिका, आवेदक को हेय की दृष्टि से देखती थी, बात-बात पर पढ़ाई का घमंड बताती थी।

4. दोनों के दांपत्य जीवन के संसर्ग से अनावेदिका गर्भवती हुई जिसने एक पुत्री अदिती को जन्म दिया। अदिती के जन्म के पश्चात् भी अनावेदिका के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, बात-बात पर मायके जाने का कहती थी, आवेदक ने बारसा कार्यक्रम के बाद अनावेदिका को मायके भिजवा दिया। उसके पश्चात् अनेकों बार मोबाईल से अनावेदिका से संपर्क किया, घर वापस आने कहा, अनावेदिका ने आने से इंकार कर दिया, आवेदक एवं परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। अनावेदिका ने आवेदक के साथ रहने से मना कर दिया, जाति पंचायत बुलवाई गई जहां जाति समाज के लोगों के समझाने पर आवेदक के घर चंदना आने तैयार हुई, करीब एक सप्ताह रुकी पश्चात् पुनः अपने मायके ग्राम घटिया चली गई। आवेदक ने लाने का प्रयास किया, किंतु अनावेदिका ने आने से मना कर दिया, अनावेदिका, आवेदक के घर रहकर दांपत्य जीवन का पालन करने तैयार नहीं है, बिना किसी पर्याप्त कारण के आवेदक का घर त्याग दिया है, मायके में निवास कर रही है, आवेदक अवयस्क पुत्री एवं अनावेदिका को साथ रखकर दांपत्य जीवन का पालन करने तैयार है।

5. वाद कारण दिनांक 18.08.2016 को सामाजिक पंचायत कर अनावेदिका को आवेदक के घर ग्राम चंदना लाने के एक सप्ताह पश्चात् दिनांक 26.08.2016 को उत्पन्न हुआ, अनावेदिका बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से मायके में निवास कर रही है, वांछित न्याय शुल्क चस्पा है, आवेदक, अनावेदिका से बिना मेल किए याचिका प्रस्तुत कर रहा है, आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य दुरभि-संधि नहीं है, फेहरिस्त अनुसार दस्तावेज पेश है, आवेदक के पक्ष में अनावेदिका के विरुद्ध आज्ञाप्ति प्रदत्त किए जाने की याचना की है।

6. आवेदन के निराकरण हेतु अधोलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं :-

1- क्या आवेदक, अनावेदिका के विरुद्ध दांपत्य संबंध की पुर्नस्थापना बाबद् आज्ञाप्ति पाने का अधिकारी है ?

2- सहायता एवं व्यय ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक {अ} का निष्कर्ष:-

7. याचिकाकर्ता थालेश्वर (आ.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन पेश कर पद क्रमांक 1 में साक्ष्य दी है कि अनावेदिका से उसका विवाह दिनांक 21.04.2014 को ग्राम खारी जिला मण्डला म.प्र. में हिन्दु धर्म की कुर्मी जाति में प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह पश्चात् अनावेदिका ग्राम चंदना में रहकर दांपत्य जीवन का निर्वाह करने लगी। अनावेदिका का व्यवहार 7-8 माह परिवार के प्रति अच्छा रहा उसके पश्चात् धीरे-धीरे व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, याचिकाकर्ता से उसके परिवार वालों से वाद विवाद करती थी, दबाव डालती थी, संयुक्त परिवार में रहने से मना करती थी, साक्षी के द्वारा समझाने पर नाराज हो जाती, दैनिक कार्य में कोई रुचि नहीं लेती थी। साक्षी को पढ़ाई का घमंड दिखाकर नीचा दिखाती थी। इसी बीच अनावेदिका गर्भवती हुई और पुत्री अदिति को जन्म दिया जिसके जन्म के पश्चात् भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया।

8. पद क्रमांक 3 में साक्ष्य दी है कि अदिति के जन्म के बाद बारसा कार्यक्रम होने के पश्चात् अनावेदिका अपने मायके चली गई, 20-25 दिन बाद साक्षी लेने गया तो लड़ाई-झगड़ा करने लगी, आने से इंकार कर दिया। साक्षी ने कई बार मोबाईल फोन से संपर्क किया तो साक्षी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी। साक्षी व परिवार के लोगों ने जाति पंचायत बुलाई, समाज के लोगों पर समझाने पर अनावेदिका साक्षी के घर ग्राम चंदना आयी, एक सप्ताह रुकने के पश्चात् वापस मायके चली गई। साक्षी अनावेदिका के साथ दांपत्य जीवन का निर्वाह करने तत्पर है, अनावेदिका बिना किसी कारण साक्षी के घर को त्याग कर अपने मायके में निवास कर रही है। पुत्री अदिति आंख की बीमारी से पीड़ित है, साक्षी पुत्री को रखकर उचित इलाज करवाना चाहता है, शपथकर्ता के पक्ष में दांपत्य जीवन के पुर्नस्थापना

की डिक्री पारित किए जाने की याचना की है। इस साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण न होने से कोई खण्डन नहीं है।

9. मनोज साहू (आ.सा.2), अशोक कुमार उइके (आ.सा.3) के आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथनों में याचिकाकर्ता थालेश्वर (आ.सा. 1) के मुख्य कथन में दी गई साक्ष्य के समान शब्दशः साक्ष्य लेख कर दी है। प्रतिपरीक्षण न होने से खण्डन नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता की साक्ष्य की पुष्टि इन दोनों साक्षियों के कथन से होती है।

10. याचिकाकर्ता की ओर से श्री आर.के. चौहान अधिवक्ता के तर्कों को विचार में लिया गया। अभिलेख पर आयी साक्ष्य से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित पाया जाता है।

सहायता एवं व्यय:-

11. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के निराकरण हेतु साक्ष्य की पुनरावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित पाए जाने से याचिकाकर्ता गैर याचिकाकर्ता जो कि विवाहित पत्नि है, के विरुद्ध दांपत्य संबंधों की पुर्नस्थापना की आज्ञाप्ति पाने का अधिकारी है। परिणामतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित पाते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :-

- 1- याचिकाकर्ता की याचना गैर-याचिकाकर्ता के विरुद्ध दांपत्य संबंधों की पुर्नस्थापना बाबद् स्वीकार की जाती है।
- 2- याचिकाकर्ता स्वयं का व्यय वहन करेगा।
- 3- व्यय तालिका बनाई जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर.

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर.

—:: व्यय तालिका ::—

क	विवरण	याचिकाकर्ता	गैर याचिकाकर्ता
1.	याचिका पर शुल्क	30.00	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	-
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	-
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-
5.	अधिवक्ता फीस	1100.00	-
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	10.00	-
	योग —	1150.00	Nil

सही / —

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर